मीडिया के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति को प्रदूषित किया जाना

2293. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत सी पत्र पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों तथा दूरदर्शन के माध्यम से देश की मूल सभ्यता तथा संस्कृति को प्रदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रकाशनों और प्रसारणों पर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) यह देखने में आया है कि कुछ स्थानों पर सैक्स, हिंसा आदि का चित्रण और अवधि अत्यधिक, अनावश्यक और अप्रासंगिक होते हैं।

(ख) और (ग) प्रेस से संबंधित मामलों में, सरकार गैर-हस्तक्षेप की नीति का पालन करती है कि ताकि प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके। तथापि, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने तथा समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के स्तर को सुधारने के लिए स्थापित एक स्वायत्त सांविधिक निकाय भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता की आचार-नीति के मानक निर्धारित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रिंट मीडिया में अश्लीलता एवं अभद्रता को रोकने संबंधी मानक शामिल है।

दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम संहिता का पालन करना होता है और उपयुक्त मानदण्डों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इनका पूर्वदर्शन भी किया जाता है। विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम देश के बाहर से अपलिंक किए जाते हैं, अतएवं, इस समय तक भारतीय कानूनों की सीमा के भीतर नहीं आते हैं जब तक कि उनकी प्राप्ति के लिए डिकोडरों का प्रयोग न किया जाए। तथापि, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि केबल आपरेटरों जो स्वतंत्र चैनलों का पुनः प्रसारण करते हैं, द्वारा भी केबल कानून की कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाए, केबल कानून में कुछ संशोधन करने हेतु कदम उठाए हैं।

कम्पनियों का सांविधिक लेखापरीक्षण

2294. **श्री रामजीलाल:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में है कि निवेशकों का पैसा लेकर बहुत-सी कम्पनियां गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों का पता-ठिकाना सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष द्वारा दिए गए सुझाव कि "कम्पनियों के कामकाज का सांविधिक रूप से आडिट किया जाना चाहिये" की ओर आकर्षित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम० थम्बी दुरई): (क) और (ख) कम्पनी कार्य विभाग ने सेबी से 79 कम्पनियों की एक सूची प्राप्त की थी जिसमें 1992-93, 1993-94, 1994-95, और 1997-98 की अवधि के दौरान सार्वजनिक प्रस्ताव किए गए थे और जो उपयुक्त कार्रवाई हेतु अपने सम्बन्धित प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंजों की सूचीबद्ध अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहे थे। हालांकि यह सुनिश्चित करना सम्बन्धित स्टाक एक्सचेंजों, जहां इन कम्पनियों के शेयर या डिबेन्चर सूचीबद्ध किए जाते हैं, की जिम्मेदारी है कि कम्पनियां सूचीबद्ध करारों के अन्तर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करें और ऐसी सूचीबद्ध कम्पनियों के काम-काज पर निगरानी बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों की है, फिर भी विभाग द्वारा इसके क्षेत्रीय संगठनों को अनुदेश जारी कर दिए गए थे ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन, यदि कोई हो, और ऐसी कम्पनियों के पता-ठिकानों का पता लगाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों और आम जनता की सहायता लेने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके। उपर्युक्त 79 कम्पनियों में से 75 कम्पनियों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त रिपोर्ट से पता चला कि 12 कम्पनियां अपने अन्तिम ज्ञात पंजीकृत कार्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 में पहले से ही यह प्रावधान है कि कम्पनी के लेखों की लेखा परीक्षा एक लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी और वह उन मामलों में रिपोर्ट देगा जिसकी उसने तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा समेत जांच की है जिसे निदेशक बोर्ड

द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान ने सुझाव दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपबन्धित कानूनों का कम्पनियों द्वारा उसके मूल स्वरूप में विधिवत अनुपालन किया जाए, फिर भी सरकार को उन कम्पनियों के सम्बन्ध में एक सचिवालयीय लेखा परीक्षा और सचिवालयीय अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराना चाहिए जो एक स्वतंत्र व्यवसायी द्वारा तैयार की जाएगी। सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और राज्य सभा में 14.8.1997 को पुरःस्थापित कम्पनी विधेयक, 1997 में पहले से ही यह प्रस्तावित है कि जिस कम्पनी में एक पूर्णकालिक सचिव को नियोजित करना अपेक्षित नहीं है और जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी दस लाख रुपये या इससे अधिक है वह बोर्ड की रिपोर्ट के साथ यथानिर्धारित ऐसे शर्तों के अधीन और ऐसे फार्म में व्यवसायरत पूर्णकालिक सचिव से एक प्रमाण पत्र संलग्न करेगी।

Pending cases in Supreme Court and High Courts

2295. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the ratio of High Court judges and the pending cases in High Courts since 1994 to 1998;

(b) the ratio of Supreme Court judges and the pending cases as on 31st December, 1998;

(c) whether Government are aware that many eminent judges and personalities have opined that justice delayed means justice denied; and

(d) if so, what concrete steps Government propose to take for quick disposal of pending cases and framing law to bar ordinary cases to drag on for unlimited periods?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): Ratio of Judges and the pending cases in High Courts is as Follows:

Year	Ratio
(As on 1st January)	
1994	1:5177
1995	1:5426
1996	1:5469
1997	1:5436
1998	1:5445

(b) Ratio of Judges and the pending cases in the Supreme Court as on 31st October, 1998 was 1:762

(c) Yes, Sir.

(d) Government has taken a series of steps for speedy disposal of pending cases. These include amendment of Civil Procedure Code and Criminal Procedure Code. The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1997 inter-alia contains a number of provisions which will facilitate speedy disposal of all cases.

Further, steps are being taken to increase the number of posts of Judges in the High Courts, appointment of Special Judicial/Metropolitan Magistrates for disposal of petty criminal cases, computerization in courts etc.

The Government has also adopted alternative modes of dispute resolution such as arbitration and conciliation. Lok Adalats have been given a statutory base with the enforcement of the Legal Services Authorities Act, 1987, as amended, w.e.f. 9.11.1995. Lok Adalats have proved to be an effective and successful supplementary forum for resolution of disputes.